(147)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/827 विरूद्ध आदेश दिनांक 17-1-18 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण क्रमांक 10/अ-6-अ/17-18.

---

1. काशीराम आत्मज स्व. पृथ्वी
2. प्रेमसिंह आत्मज स्व. पृथ्वी
3. भूरी बाई आत्मज स्व. पृथ्वी
4. गंजी बाई पुत्री स्व. पृथ्वी
5. गेंदा बाई पुत्री स्व. पृथ्वी

कृषक ग्राम नरोन्हा सांकल
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. पन्ना लाल आत्मज केशो
   निवासी ग्राम नरोन्हा सांकल
   तहसील हुजूर जिला भोपाल
2. नायब तहसीलदार सुनील शर्मा वृत्त 2
   तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री एच. आर. पटेल, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिनेश चौहान, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 22/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित दिनांक 17-1-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमती पन्नी बाई एवं आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 18/अ-6-/2015-15 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2014 के विरूद्ध अपील कलेक्टर, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 30-3-2016 को

आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करते हुए खसरा प्रविष्टि को दुरूस्त कर, आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये । कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21-9-2017 को आदेश पारित कर यथावत रखा गया । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/4174 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 2-11-2017 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर, उभय पक्ष को सुनकर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करने के निर्देश अपर आयुक्त को दिये गये । तदोपरान्त आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, आयुक्त के आदेशों का क्रियान्वयन एवं व्यवहार न्यायालय के आज्ञप्ति के निष्पादन हेतु प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में उनका नाम दर्ज किये जाने हेतु नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ-6-अ/17-18 दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 17-1-18 को आदेश पारित कर इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय न्यायालय अपर आयुक्त के न्यायालय से प्रकरण के निराकरण तक कार्यवाही स्थगित की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 6-11-2017 को निर्णय पारित कर निरस्त किया है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनावेदक के पक्ष में कोई स्थगन आदेश नहीं है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में तहसील न्यायालय द्वारा भूल की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं होने के बावजूद भी प्रकरण स्थगित करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर के आदेश को अपर आयुक्त द्वारा स्थगित नहीं किया गया है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व की है, जिसे उसके द्वारा पूर्व भूमिस्वामी पृथ्वी से

पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । यह भी कहा गया कि विक्रय पत्र में भले ही खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है, परन्तु रकबे का उल्लेख है । इस आधार पर कहा गया कि मात्र खसरे का उल्लेख नहीं होने से उसके पक्ष में निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र अवैध नहीं माना जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा विक्रय पत्र में खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं होना त्रुटि माना है, परन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कब्जा माना है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कब्जा नही होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त इस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश पारित किया जाना है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण प्रकरण स्थगित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा वास्तविकता को छिपाते हुए असत्य एवं झूठे आधारों निगरानी प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-9-2017 एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 590ए/2016 में पारित निर्णय दिनांक 6-11-17 के विरूद्ध अपील विचाराधीन है, जिस कारण तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण स्थगित करने में विधिसंगत आदेश पारित किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण में व्यवहार न्यायालय के सिविल प्रकरण क्रमांक 590ए/2016 निर्णय दिनांक 6-11-2017 की प्रति संलग्न है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक का वाद निरस्त किया है, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि पर उसका कब्जा होने से उसे विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेदखल नहीं करने के निर्देश आवेदकगण को दिये गये हैं । इसके उपरान्त भी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, अपर आयुक्त के आदेश का क्रियान्वयन एवं व्यवहार न्यायालय की आज्ञप्ति के निष्पादन हेतु त्रुटिपूर्ण रूप से तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करने के निर्देश अपर आयुक्त को दिये गये हैं । चूंकि मूल प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष लम्बित है और अपर आयुक्त द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय से प्रकरण का निराकरण होने तक प्रकरण स्थगित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित दिनांक 17-1-18 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर